स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
स्वच्छ महाराजगंज

बिहार सरकार

कार्यालय नगर पंचायत, महाराजगंज

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
स्वस्थ्य महाराजगंज

E-Mail :- nagarpanchayat.maharajganj@gmail.com

पत्रांक 1194/

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महाराजगंज।

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,
भा0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

महाराजगंज, दिनांक 25-9-2018

विषय :– निरोक्षण प्रतिवेदन संख्या– 643/2010–11, 252/2013–14, 737/2014–15 एवं 654/2017–18 का साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर कहना है कि **अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 643/2010–11, 252/2013–14, 737/2014–15 एवं 654/2017–18 का** अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय की सेवा में समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 –
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महाराजगंज।

ज्ञापांक 1194 न0पं0 महा0/ दिनांक 25-9-2018

प्रतिलिपि :– सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के भवदीय पत्रांक 2004/दिनांक 04.09.2018 के आलोक में भवदीय द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में सादर सूचित करना है कि तत्कालिन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय से अनुपालन प्रतिवेदन नही भेजा गया है। अतः स्पष्टीकरण से मुक्त करने की महत्ती कृपा की जाय।

25/9/18
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महाराजगंज।

5071 27.09.18
श्री संजीव 27/9/18
520 29/9/18

कार्यालय नगर पंचायत महाराजगंज, सिवान

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 737/2014–15

अवधि – 2012– 13 से 2013–14

भाग – 01

भाग – 1

क्र0	कंडिका संख्या	अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन	अभ्युक्ति
01	1	प्रस्तावना: नगर पंचायत के वर्ष–2012–13 से 2013–14 तक के लेखाओं 11.09.2014 से 17.09.2014 तक की अवधि में किया गया	अनुपालन की आवश्यकता नही है। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
02	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नही है। अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
03	3	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, भविष्य में अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।	
05	3 (क)	सामान्य अभियुक्ति	दर्शायी गई आपत्तियो का निराकरण की जा रहा है।	
04	4	लेखापरीक्षा का परीमाण	अनुपालन की आवश्यकता नही है। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
06	5(ii) (1)	रोकड बही की त्रुटियॉ	2012–13 से 2013–14 के पासबुक एवं कैशबुक की अंतर को बैंक सामाधान विवरणी से तैयार कर ली गई है। इसे अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित की जायेगी। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	

07	5(ii) (2)		नगर पंचायत, महाराजगंज के द्वारा अलग–अलग रोकड़ बही के लिए पासबुक का संधारण कर लि गई है। (पासबुक की विवरणी की छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
08	5(ii) (3)		पी0एल0 एकाउन्ट से राशि निकालने हेतु चेक निर्गत की गई परन्तु ट्रेजरी द्वारा स्थानान्तरण नही होने के कारण इस पर सुद प्राप्त नही हुआ है। अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से विचार कर उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
09	5(ii) (4)		रोकड़ बही का मासिक/त्रैमासिक या वार्षिक ब्रेकअप आय–व्यय का वर्गीकरण नये सिरे से किया जा रहा है। (छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
10	5(ii) (5)		रोकड़ बही में आवश्यंक सुधार कर बैंक सामाधान कर ली गई है। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
भाग– ।। (क)– शुन्य				
भाग– ।। (ख)				
11	1 (i)	कम जमा/ नही जमा 51600.00	कबीर अन्त्योष्टि मद में अग्रिम में दिया गया 2012–13 एवं 2013–14 में विभागीय कर्मी को इसकी पुरी जानकरी नही थी। सिर्फ दी गई बकायी राशि को वापस किया गया है। रोकड़ बही में व्यय में नही दिखाया गया है जिसके कारण इसकी प्रविष्टि नही की गई है। बैंक पासबुक में जमा की गई है। (पासबुक की छायाप्रति संलग्न) अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	

12	1 (ii)	कंडिका संख्या 1 (ii) अकेक्षण के दौरान जमा राशि 8262.00 रूपया	अंकेक्षण के क्रम में हि उक्त राशि को निकाय कोष निधि में जमा कर दिया गया था। (छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
13	2	कार्य संपादन में विलंब के कारण वसूली योग्य विलंब शुल्क की वसूली नही 68179.00 रूपया	दिया गया है कि दो योजनाओ में कार्य की समाप्ति निर्धारित अवधि जिसमें कार्य पुरा कराना था ये कार्य अवधि के अन्दर किया गया है। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
14	3	अग्रिम 1	अभिकर्त्ता श्री पृथ्वी राज सिंह, तत्कालीन प्रभारी, कनीय अभियंता नगर पंचायत, महाराजगंज द्वारा लिए गये अग्रिम को जमा करने हेतु उनके संबंधित विभाग सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के उनके वेतन से सेवान्त लाभ के राशि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। (नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
		2	राजेश कुमार पंकज, कर संग्रहक को 6400.00 रूपया शीतलहरी के अलाव हेतु दि गई थी, जिसका समायोजन कर ली गई है। (अग्रिम पंजी की छायाप्रति सलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
		3	ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद को राशि मो0– 22,500.00 रूपया जो कबीर अन्त्योष्टि योजना में दि गई अग्रिम राशि को समायोजन/जमा करने हेतु नोटिस निर्गत की गई है।(नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	

		4	बिहार बैट्री को 1,42000.00 रूपंया का सामायोजन कर लि गई है। (अग्रिम पंजी की छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
15	4	डीजल पर भुगतान 80,915.00 रूपया	1. गाडी की लॉगबुक तैयार कर ली गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। 2. वाहन का तेल खरीदगी का प्रशासनिक स्वीकृती की छायाप्रति संलग्न। 3. अभिश्रव की छायाप्रति संलग्न अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
16	5	बन्दोबस्ती (सैराती की) नही होने से हानि 77900.00 रूपया	सब्जी मण्डी के बन्दोबस्ती की राशि वसूली हेतु पत्राचार किया गया है। लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा टिन–टिकट की बन्दोबस्ती की राशि पर नगर पंचायत, के बोर्ड की बैठक दिनांक 17.04.2013 के प्रस्ताव संख्या– 02 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय के आलोक में रोक लगाया गया था। (कार्रवाई की छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
17	6	नगर पंचायत मद 5,25,000	अभिकर्त्ता श्री पृथ्वी राज सिंह, तत्कालीन प्रभारी, कनीय अभियंता नगर पंचायत, महाराजगंज द्वारा लिए गये अग्रिम को जमा करने हेतु उनके संबंधित विभाग सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के उनके वेंतन से सेवान्त लाभ के राशि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। (नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)	

18	7	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय 4.20 लाख	नगर पंचायत, महाराजगंज में सफाईकर्मी के कमी के कारण पर्व एवं त्योहार के अवसर पर बोर्ड के निर्णय के आलोक में जनहित में दैनिक मजदुर द्वारा कार्य कराया गया, अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
19	8	मोबाईल टावरों का बिना अनुमति अधिष्ठापन एवं शुल्क के रूप में बकाया राशि 6.26 लाख	मोबाईल टावरों को इस संबंध में नोटिस किया गया है। साथ ही वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। (नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
20	9	पूर्व के सैरातो की बंदोबस्ती की वसूली नही 28,800.00 रूपया	श्री बबलू कुमार सिंह, सब्जीमंडी गुडहट्टी बाजार एं श्री संजय कुमार यादव को टिन–टिकट बन्दोबस्तीधारी बकाया बन्दोबस्ती की राशि जमा करने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न)	
21	10	योजना मद में कटौती की गई राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नही किया जाना 3.35 लाख	TAN No नही रहने के कारण विलम्ब हुआ है TAN No प्राप्त होने के बाद नियम के अनुसार जमा किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, महाराजगंज